आदेश–पत्रक

ईखायुक्त, बिहार, गन्ना उद्योग विभाग के समक्ष सुनवाई से संबंधित।

आदेश का संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
1	2	3
23.07.2026	मेसर्स मझौलिया सुगर इन्डस्ट्रीज, मझौलिया, प0 चम्पारण द्वारा पेराई सत्र 2026–27 से 2028–29 के लिए पूर्व में आरक्षित 110 ग्रामों को यथावत रखने के प्रस्ताव पर सुनवाई किया गया। सुनवाई के दौरान मेसर्स मझौलिया सुगर इन्डस्ट्रीज, मझौलिया के प्रतिनिधि, मेसर्स एच0पी0सी0एल0 इकाई, सुगौली के प्रतिनिधि तथा ईख पदाधिकारी, मोतिहारी उपस्थित है। मेसर्स मझौलिया सुगर इन्डस्ट्रीज, मझौलिया, प0 चम्पारण द्वारा कहा गया कि विभागीय आदेश दिनांक–08 जून, 2026 से कुल 300 ग्राम गन्ना के आपूर्ति हेतु जिला पश्चिम चम्पारण के प्रखंड–बेतिया, ग्रामों की संख्या–18, नौतन, ग्रामों की संख्या–44, बैरिया, ग्रामों की संख्या–41, मझौलिया, ग्रामों की संख्या–69, चनपटिया, ग्रामों की संख्या–15, सिकटा, ग्रामों की संख्या–3 एवं पूर्वी चम्पारण के प्रखंड अरेराज अपरांपरागत ग्रामों की संख्या–43, पहाड़पुर, अपरांपरागत ग्रामों की संख्या–49, हरसिद्धि, अपरांपरागत, ग्रामों की संख्या–15, संग्रामपुर, अपरांपरागत ग्रामों की संख्या–02, एवं रामगढ़वा, अपरांपरागत ग्रामों की संख्या–01 आवंटित है। उपरोक्त संबंद्ध ग्रामों में चीनी मिल द्वारा सघन गन्ना विकास का कार्यक्रम गत कई वर्षो से कराया जा रहा है। जिसके तहत कृषकों को उन्नतशील गन्ना प्रभेद, जैविक खाद, कीटनाशक तथा कृषि यंत्र उपलब्ध कराये गए है। साथ ही मिल परिक्षेत्र में सघन गन्ना विकास/विपणन कार्य हेतु चार जगह क्षेत्रीय गन्ना विकास कार्यालय भी संचालित किया जा रहा है। पूर्वी चम्पारण जिला के 110 ग्राम जो पेराई सत्र 2023–24 से 2025–26 तक आरक्षित थे, के साथ–साथ पश्चिम चम्पारण एवं पूर्वी चम्पारण जिले में परांपरागत 190 ग्राम, कुल 300 ग्रामों में गन्न का सघन विकास कराया गया है। आगामी पेराई सत्र 2026–27 हेतु चीनी मिल गन्ना पेराई क्षमता का विस्तारीकरण 6500 टीसीडी से 8000 टीसीडी कर रही है। अतः चीनी मिल को उसकी क्षमता/माँग के अनुरूप उपरोक्त वर्णित ग्रामों को मझौलिया चीनी मिल के पक्ष में आवंटित करने का अनुरोध करते है। मेसर्स एच0पी0सी0एल0 सुगौली के प्रतिनिधि द्वारा लिखित जबाव दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई।	

	ईख पदाधिकारी, मोतिहारी लिखित जबाव दाखिल करने हेतु समय की मांग करते है। सभी पक्षो को सुना। संबंधित ईख पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि गाँव–वार विश्लेषण कर वहाँ Cane Area कितना Develop है, इस संबंध में विस्तृत ब्योरा समर्पित करें। अपरांपरागत क्षेत्रों के आरक्षण हेतु क्षेत्रीय किसानों एवं उनके प्रतिनिधियों से भी विचार विमर्श करना न्योचित प्रतीत होता है। सभी संबंधित पक्ष अपना लिखित जबाव दाखिल करें। कार्यालय सभी संबंधित पक्षों को अगली बैठक की तिथि निर्धारित होने पर सूचित करें। ह०/– ह०/– **लेखापित एवं शुद्धित।** **ईखायुक्त, बिहार।**	

ज्ञापांक–02/रेगु०–2–800–18/2020– 1393/ई०आ० /पटना, दिनांक 30 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि–महाप्रबंधक, मेसर्स मझौलिया सुगर इन्डस्ट्रीज, मझौलिया, प० चम्पारण/ईख पदाधिकारी, मोतिहारी/बेतिया अंचल, बेतिया/रामनगर अंचल, बेतिया, प० चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 30.7.26

(वेदव्रत कुमार)
संयुक्त ईखायुक्त।

ज्ञापांक–02/रेगु०–2–800–18/2020– 1393/ई०आ० /पटना, दिनांक 30 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि–ईखायुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त ईखायुक्त/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 30.7.26

संयुक्त ईखायुक्त।

ज्ञापांक–02/रेगु०–2–800–18/2020– 1393/ई०आ० /पटना, दिनांक 30 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– आई॰ टी॰ प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 30.7.26

संयुक्त ईखायुक्त।